

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक:- एफ.4(ई) / द्वितीय एसीपी 92स्पे/अलेसे-गा/ ३८९९-३९०५ दिनांक:- १६/६/२०१४

कार्यालय आदेश

श्री अजय कुमार, (103/92स्पे) की कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि 23.01.1995 है। श्री अजय कुमार ने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर दिनांक 23.01.2013 को 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, अतः श्री अजय कुमार को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008 / दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ 11(7) वित्त (नियम) पार्ट-1 / 2008 दिनांक:- 6.10.2008 के अनुसरण में 18 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 23.01.2013 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-वेण्ड 2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत किया जाता है।


श्री अजय कुमार को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र एवं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत किया जाता है।

श्री अजय कुमार का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाचं लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई) / द्वितीय एसीपी 92स्पे / अलेसे-गा/ ३८९९-३९०५ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-
दिनांक:- १६/६/२०१४

1. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीग, भरतपुर।
2. श्री अजय कुमार, कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीग, भरतपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
4. उपनिदेशक(एसीपी) विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी/गार्ड फाईल।


(डॉ अरविन्द कुमार मिश्र)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-गा)